परिपत्र सं0 38/10

# राजस्थान सरकार

# कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक एफ–7(108)जन/10/ 25284 to 25644 दिनांक 14/12/2010.

**समस्त उप पंजीयकगण,**
**(पूर्णकालीन/पदेन)**
**राजस्थान**

विषयः– **प्रलेख लेखकों की दरों का सुगोचर स्थान पर प्रदर्शित करने बाबत।**

प्रलेख लेखकों द्वारा दस्तावेज लिखने की दरें बढ़ाने के सम्बन्ध में उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग के पत्रांक प.2(54)वित्त/कर/2010 दिनांक 20–10–10 से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में आदेश क्रमांक एफ–7(108)जन/10/18095 दिनांक 21–10–2010 से प्रलेख लेखन की दरों में वृद्वि कर पुर्ननिर्धारण किया गया है।

इन दरों को आमजन की जानकारी हेतु कार्यालय के बाहर **सुगोचर स्थान पर मोटे/स्प्ष्ट अक्षरों में लिखवाने अथवा कम्प्यूटर का माध्यम से मोटे अक्षरों में टंकित करवा कर (नोटिस बोर्ड पर) प्रदर्शित करने हेतु** विभाग के समसंख्यक पत्रांक 24903–25265 दिनांक 3–12–2010 से समस्त उप पंजीयकों को निर्देशित किया गया है।

पंजीयन कार्य में स्वच्छता व पादर्शिता लाने के उद्वेश्य से मासिक समीक्षा बैठकों में तथा विभागीय परिपत्र सं0 29/10 क्रमांक एफ–7(42)जन/10/13527 दिनांक 7–9–2010 से भी निर्देशित किया गया है कि दस्तावेज लेखक द्वारा दस्तावेज में अपना नाम, लाईसेंस नम्बर, दिनांक तथा दस्तावेज लेखन की पक्षकार से ली गई फीस का अंकन अवश्य करेगें। परन्तु ऐसा पाया गया है कि कुछ कार्यालयों द्वारा इन निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की गयी है।

अतः सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

**1– प्रलेख लेखन की लिखाई की पुनः निर्धारित दरों को कार्यालय के बाहर सुगोचर स्थान पर मोटे/स्प्ष्ट अक्षरों में लिखवायें अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से मोटे अक्षरों में टंकित करवा कर (नोटिस बोर्ड पर) प्रदर्शित करे।**

**2– प्रलेख लेखक द्वारा राजस्थान लाईसेंसिग ऑफ डाक्यूमेंट राईटर्स रूल 1956 के नियम–8 के अनुसार ड्राफ्ट कर लिखे/टंकन कराये दस्तावेज पर दिनांक, स्वयं के हस्ताक्षर व वसूल की गई लिखाई फीस का इन्द्राज होना सुनिश्चित किया जावे।**

**3– प्रलेख लेखक द्वारा राजस्थान लाईसेंसिग ऑफ डाक्यूमेंट राईटर्स रूल 1956 के नियम–9 के अनुसार संधारित रजिस्टर में लिखे गये दस्तावेज को किस क्रमांक पर दर्ज किया है, उसका अंकन होना सुनिश्चित किया जावे।**

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

महानिरीक्षक, 14/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक एफ–7(108)जन/09/ 25645 to 25734 दिनांक 14/12/2010.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव (राजस्व), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान
3. अति0कलक्टर(मुद्रांक), जयपुर
4. समस्त उप महानिरीक्षकगण राजस्थान
5. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय, अजमेर
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी मुख्यालय,अजमेर
7. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
8. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय,अजमेर
9. समस्त आन्तरिक लेखा जांचदल, मुख्यालय, अजमेर
10. निजी सचिव, महानिरीक्षक/ निजी सहायक अति0महानिरीक्षक
11. समस्त शाखाऍ मुख्यालय, अजमेर

अति0महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर